बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शशिकान्त राम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फुल्लीडुमर, बांका के विरूद्ध श्री अनुज कुमार सिंह, जिला जनता दल (यू0) महासचिव, भागलपुर द्वारा प्रदत्त परिवाद की जॉच निगरानी विभाग से कराकर पत्रांक– 3001 दिनांक– 18.05.2012 द्वारा निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर ज्ञापांक– 4621 दिनांक– 23.07.2012 द्वारा श्री राम को तय राशि से अधिक दर पर उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण, पर्यवेक्षण का अभाव एवं लापरवाही के आरोप में निलम्बित करते हुए ज्ञापांक– 5081 दिनांक– 13.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन में उपभोक्ताओं का बयान होने के बावजूद आरोप प्रमाणित नहीं होने एवं निरीक्षण की कमी के कारण पत्रांक– 7611 दिनांक– 06.12.2012 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई । निगरानी विभाग, बिहार के जॉच में उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने, निरीक्षण नहीं करने एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के स्तर से उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर नहीं लेने के आरोप का द्वितीय कारणपृच्छा में जवाब नहीं देने के कारण दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड विभागीय आदेश ज्ञापांक– 1933 दिनांक– 25.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया ।

3. श्री राम द्वारा आदेश ज्ञापांक– 1933 दिनांक– 25.03.2013 द्वारा निर्गत दण्डादेश को रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में समादेश याचिका संख्या– 20501/2013 शशिकान्त राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त समादेश याचिका में दिनांक– 21.12.2017 को पारित न्याय निर्णय की कार्यकारी कंडिका निम्नवत् है :–

"Having considered the rival contentions of the parties when the enquiry report is in favour of delinquent, in such circumstances, as per the judgment of Kunj Bihari (supra) the disciplinary authority has to record a separate finding of disagreement, obtain the comment, after considering the material produced the enquiry as well as comment submitted by dilinquent, would pass an order in accordance with law. As this procedure has not been followed in the presence case the order of punishment dated 25.03.2013 is quashed and the matter is remanded back to the authority concerned. He may proceed in accordance with law."

With the aforesaid observation and direction this writ petition is allowed.

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 1933 दिनांक– 25.03.2013 को रद्द किया जाता है । साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री राम के विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक– 5081 दिनांक– 13.08.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त विधि सम्मत् अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 भागलपुर–95/2011 2679 /खाद्य,पटना/दिनांक 06.06.18
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संयुक्त सचिव, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री शशिकान्त राम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फुल्लीडुमर, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।